(सत्यप्रतिलिपि)

<u>न्या. अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी, छ0ग0</u>

(आदेश दिनांक 05/11/2020)

जमानत याचिका कमांक 255/20

चौकी बिरेझर थाना कुरूद

अपराध कमांक 530/20,

धारा 457 भादसं

नीरज कुमार पिता रतनलाल साहू,

उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम कोटगांव

थाना कुरूद, जिला धमतरी, छ0ग0..................**आ<u>वेदक/अभियुक्त</u>**

—<u>विरूद्ध</u>—

छ0ग0 राज्य द्वारा,

चौकी बिरेझर थाना कुरूद

जिला धमतरी छ0ग0.....................................**अनावेदक<u>/अभियोजन</u>**

05-11-2020 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्रमांक 79 विविध दो–14–01/2020 बिलासपुर दिनांक 15 जुलाई 2020 एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ0ग0 के विविध आदेश क्रमांक क/दो–12–08/2020, धमतरी, दिनांक 16.07.2020 के पालन में यह जमानत याचिका संबंधित थाना की केसडायरी सहित सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री कपिल चालकी अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन की ओर से श्री मोहित कुमार देवांगन, लोक अभियोजक उपस्थित।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष का तर्क वी0सी0 के माध्यम सुना गया। डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदक/ अभियुक्त ने प्रथम नियमित जमानत आवेदन होना, इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत आवेदन लंबित या निराकृत नहीं होना बताया है। समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पिता रतनलाल साहू ने शपथ पत्र पेश कर घोषणा किया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में शक के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उसके जेल में निरूद्ध रहने से उसके परिवार के समक्ष भरणपोषण की समस्या उत्पन्न हो गयी है तथा सम्मानित व्यक्ति होने से उसके मान सम्मान में विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। वर्तमान में कोविड 19 के चलते प्रकरण के अन्वेषण एवं निराकरण में समय लगने की संभावना

है। वह दर्शित पते का स्थायी निवासी है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने को तैयार है। तदानुसार जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अनावेदक/शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

डायरी के अनुसार घटना दिनांक 18.10.2020 के रात्रि लगभग 11.00बजे आरोपी नीरज कुमार साहू, प्रार्थी शिवचरण साहू निवासी कोटगांव के मकान छत के उपर परदा दीवार के सहारे चढ़कर चोरी करने की नियत से छत के सीढ़ी से अपने मोबाईल के टार्च की रोशनी के सहारे सीढ़ी से नीचे मकान परछी अंदर प्रवेश किया उस समय प्रार्थी शिवचरण जाग रहा था, कौन है कहकर चिल्लाया और अपने टार्च की रोशनी से देखा तब आरोपी छत के उपर भागने के लिये चढ़ गया जिसे प्रार्थी ने जाकर अपनी पत्नी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, तब तक प्रार्थी के घर के अन्य सदस्य भी उठ गये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध चौकी बिरेझर थाना कुरूद में 530/2020, धारा 457 भादसं पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना कार्यवाही की जा रही है।

जमानत आवेदन पर विचार किया गया। यद्यपि अपराध अजमानतीय है तथापि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अन्वेषण एवं निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः डायरी के साथ संकलित साक्ष्य, वर्तमान कोविड 19 की परिस्थिति एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये

आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट हो रहा है। अतएव आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंप्रसं स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/ अभियुक्त के द्वारा संबंधित न्यायालय के संतुष्टि योग्य 15,000/–15,000/–रूपये का दो सक्षम जमानत एवं 30,000रूपये राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने, साक्षियों को प्रभावित व प्रलोभित न करने एवं सदाचार बनाये रखने की शर्त पर प्रस्तुत करे तो उसे उक्त प्रकरण में रिहा किया जावे।

आदेश की प्रतिलिपि ईमेल के माध्यम से संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित की जावे तथा संबंधितों को भी भेजी जावे।

जमानत प्रकरण का रिजल्ट नोट कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0

प्रतिलिपि/–1. संबंधित न्यायालय को ईमेल के माध्यम से प्रेषित। **02**. संबंधित थाना को संबंधित केसडायरी सहित सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित। **03.** लोक अभियोजक को प्रेषित।

(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी,छ0ग0